न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01 / 2019

प्रार्थी–

दुर्जनसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी मुनाबाव तहसील गड़रारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत रोहिड़ाला जरिये सरपंच
2. चतरसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी मुनाबाव तहसील गड़रारोड़ जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 18 दिनांक 15.08.2018 जो अप्रार्थी सं. 2 चतरसिंह के नाम ग्राम पंचायत रोहिड़ाला द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री नवलसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1व2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 06.09.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत रोहिड़ाला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 18 दिनांक 15.08.2018 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 40 गुणा 60 फीट कुल 2400 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत रोहिड़ाला द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे बरती गई अनियमितता के कारण उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:37 IST
Reason: SelfAttested

जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत रोहिड़ाला द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जिस भूमि का जारी किया गया हैं वह भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी नही है बल्कि गैर मुमकीन धोरा भूमि का जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) में विहित नियमों की पालना नहीं की गई हैं। ग्राम रोहिड़ाला के खसरा नम्बर 64 गैर मुमकीन धोरा हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति का कभी कोई रहवास या कब्जा–काश्त आदि नहीं रहा हैं। उक्त खसरा नम्बर 64 गैर मुमकीन धोरा की जमीन पर बिना किसी स्वामित्व के निर्माण कार्य किया जा रहा था जिस पर शिकायत की गई। इस पर अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 से मिल कर सरकारी भूमि में फर्जी एवं कूटरचित पट्टा सं. 18 दिनांक 15.08.2018 को जारी करवा दिया। अप्रार्थी सं. 2 ने इस फर्जीवाड़े को दबाने के लिये खसरा नम्बर 64 में आबादी भूमि की तरमीम संशोधन का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार गड़रारोड़ के समक्ष पेश तथा बिना मौका देखे ही हल्का पटवारी एवं आरआई ने एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही कर गलत तरमीम भी कर दी। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व न तो विधिक स्वामित्व की जांच की गई और न ही विधिक आधिपत्य की, वास्तव में ग्राम पंचायत इस संबंध में जांच कर लेती तो आलौच्य पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी नहीं हो सकता था। अप्रार्थी सं. 2 का मौके पर वादग्रस्त भूखण्ड पर न तो कोई रहवासी मकान बना हुआ हैं और उसमें अप्रार्थी सं. 2 का कोई पुराना कब्जा ही था ऐसी स्थिति

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:37 IST
Reason: SelfAttested

में आलौच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141 से 160 तक की अनदेखी की गई हैं। आलौच्य पट्टा नियम 150 से 152 तक का अनुसरण कर नीलामी के तहत जारी करने के तथ्य अंकित किये गये हैं जबकि न तो नीलामी की कोई प्रक्रिया की गई हैं और न ही यह अंकित किया गया हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड की अधिकतम कीमत 200/– रूपये नीलामी के तहत प्राप्त हुई हैं इस कारण 200/– रूपये शुल्क जमा किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख दिनांक 15.08.2018 को जारी किया गया हैं जबकि उक्त दिनांक को वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि नही थी और न ही अन्य किसी द्वारा आबादी में कन्वर्ट करवाई हुई है। इसके उपरांत भी अप्रार्थी सं. 2 ने सरकारी जमीन पर टॉवर निर्माण करवाने व जमीन हड़पने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के साथ षडयन्त्र पूर्वक मिल कर कूटरचित दस्तावेज (पट्टा) ग्राम पंचायत से जारी करवाया हैं जो काबिल निरस्त हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा सं. 18 दिनांक 15.08.2018 अवैध व शुन्य होने से निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया, जिससे पाया जाता हैं कि अप्रार्थी चतरसिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिड़ाला के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित पडौस की भूमि को नियमानुसार विक्रय द्वारा प्राप्त करने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली कायम कर आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण करने हेतु तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी का गठन किया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 02.10.2017 को प्रस्तुत हुई जिसमें मौका कमेटी की ओर से मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होना आदेशिका में उल्लेखित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 24.04.2018 को आवेदित भूखण्ड

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:37 IST
Reason: SelfAttested

के विक्रय हेतु सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी करने की आदेशिका अभिलिखित की गई हैं। ग्राम पंचायत की ओर से सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने के उक्त नोटिस के पश्चात दिनांक 25.05.2018 को आदेशिका में कोई आपत्ति पेश नहीं होने का उल्लेख करते हुए अप्रार्थी सं. 2 के नाम पट्टा जारी करने का प्रस्ताव सं. 2 मे निर्णय लिया गया तथा आलौच्य पट्टा विलेख दिनांक 15.08.2018 को जारी किया गया। उक्त आदेशिकाओं के क्रम में ग्राम पंचायत की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से इनमें सरासर भिन्नता पाई गई हैं। आबादी भूमि के निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया था जबकि निरीक्षण प्रपत्र पर केवल एक वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा आवेदित भूमि ग्राम सजनाणी में स्थित होना बताया हैं। अप्रार्थी आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र में दिनांक अंकित नहीं हैं और न ही यह शपथ–पत्र तस्दीकशुदा हैं बल्कि इसके पश्चात जो 50/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 10.09.2018 यानि आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने के पश्चात की तिथी का हैं। आलौच्य पट्टा विलेख नियम 167(1) के तहत जारी किया गया हैं जबकि ग्राम पंचायत की पत्रावली में उक्त भूखण्ड को नीलामी के द्वारा विक्रय किये जाने सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न अप्रार्थी सं. 2 चतरसिंह द्वारा तहसीलदार गड़रारोड़ के समक्ष ग्राम मुनाबाव के खसरा नम्बर 64 में से 12–10 बीघा आबादी भूमि की नक्शे में तरमीम अंकन करने हेतु दिनांक 15.10.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई हैं जिससे प्रकट होता हैं कि जिस दिनांक को आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं उस दिन पट्टा अधीन भूमि पृथक रूप से ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि अंकित नहीं थी। आलौच्य पट्टा की सत्यता एवं वैधता का परीक्षण करने हेतु ग्राम पंचायत के अभिलेख का परीक्षण उपरांत कतई स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि का भाग हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत रोहिड़ाला

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:37 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों का पालना करते हुए जारी किया जाना प्रतीत नही हो रहा है। ऐसे मे ग्राम पंचायत रोहिड़ाला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि का सत्यापन कराये बिना एवं नीलामी प्रक्रिया विधिवत रूप से सम्पन्न किये बिना ही वादग्रस्त भूमि का आलौच्य पट्टा जारी करने की अनियमितता की गई है तथा इस आधार पर उक्त पट्टा स्पष्ट रूप से अवैध होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत रोहिड़ाला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 18 दिनांक 15.08.2018 अपास्त किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:37 IST
Reason: SelfAttested